न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद जिला प्रतापगढ

राजस्थान राज्य बनाम जगला उर्फ जगदीश

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या 177/2025

तारीख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः 14.03.2026

अभियोजन अधिकारी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 360 बी.एन.एस.एस का इस आशय का पेश हुआ कि राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.16(02)ल.प्र./गृह–10/2023/पार्ट 1 जयपुर के द्वारा इस न्यायालय में लम्बित यह प्रकरण विड्रा करने के आदेश प्राप्त हुये हैं, जिसमें अभियुक्त का प्रथम अपराध होना चाहिये और समन राशि अभियुक्त द्वारा जमा करा दी गयी हो और भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करने के आशय बाबत अण्डटेकिंग पेश कर दी हो। इस बाबत अभियुक्त की ओर से एक अण्डरटेकिंग पूर्व में पेश की जा चुकी है।

प्रार्थनापत्र पर सुना जाकर संलग्न उक्त राजस्थान सरकार के आदेश का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार खान एवं खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 के अन्तर्गत ऐसे प्रकरण् जो भा.द.सं. की धारा 379 और खान एवं खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा 4/21 एवं 54/60 राजस्थान अप्रसाधन खनिज रियायत नियमावली के तहत समन किया जा सकता हो जो निम्नलिखित शर्तो को पूरा करता हो कि प्रथम अपराध के रूप में कारित हुआ हो, मुलजिम की ओर से शमन राशि एनजीटी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, जब्तशुदा खनिज का मूल्य जमा करा दिया हो और इस आशय की अण्डरटेकिंग पेश कर दी हो कि वह भविष्य में किसी प्रकार के अवैध खनन के परिवहन का कार्य नहीं करेगा। ऐसे प्रकरण को न्यायालय द्वारा वापस लिया जा सकता है। उक्त आदेश में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज ऐसे प्रकरण जो कर चोरी से संबधित नहीं है, प्रथम अपराध के रूप में कारित है, केवल जुर्माने से दण्डनीय है, अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो रहा है को पूर्ण करता हो, को वापस लिया जा सकता है। उक्त प्रार्थनापत्र तथा उक्त आदेश की रोशनी में हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 11.03.2026 को बी.एन.एस. की धारा 303(2) और खान एवं खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 की धारा 4/21 एवं 54/60 राजस्थान अप्रसाधन खनिज रियायत नियमावली व धारा 39/192 एम.वी.एक्ट में आरोपपत्र पेश हुआ है तथा अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.01.2026 को 1,27,400/-रूपये एनजीटी द्वारा नि्र्धारित राशि और खनिज के बराबर मूल्य जमा करा दिया है, जिसकी रसीद खनिज अभियन्ता, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग, प्रतापगढ में जमा रसीद न्यायालय पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार अभियुक्तगण ने एनजीटी की कम्पाउण्ड राशि एक लाख रूपये व पैनल्टी राशि 27,400/-रूपये कुल 1,27,400/-रूपये जमा करा दी है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि इस पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का कोई अपराध कारित किया हो, जिसमें उसको दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसे किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की प्रति अथवा अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की

कोई प्रति पत्रावली पर नहीं है, जिससे कि उसका यह प्रथम अपराध ही माना जावेगा। साथ ही उसने समन राशि व एनजीटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी राशि जमा करा दी है और इस आशय की अण्डरटेकिंग पेश कर दी है कि भविष्य में अवैध खनन या अवैध खनिज के कार्य नहीं करेगें एवं उक्त वाहन को अवैध खनन के प्रयोग में नहीं लेंगें।

अतः चूंकि उक्त राजस्थान सरकार के आदेश की शर्तो की पालना अभियुक्त द्वारा की जा चुकी है और अण्डरटेकिंग पूर्व में प्रस्तुत कर दी गयी है, ऐसी दशा में उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में अभियोजन को इस मामले को विड्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अभियुक्त जगदीश उर्फ जगला को अपराध धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट व धारा 54/60 आरएमएमसीआर व धारा 303(2) बी.एन.एस. व धारा 39/192 एम.वी.एक्ट के आरोप से विड्रा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है।।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुदर्गी व जमानत पर दिया गया है, जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील रीविजन अवधि नियमानुसार निरस्त समझा जावे व वाहन सुपुदर्गीदार के पास ही रहे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
ताल्लुका विधिक सेवा समिति
धरियावद जिला प्रतापगढ़ (राज.)